न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

(88)

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 652–दो/2006 निगरानी - विरूद्ध - आदेश दिनांक 31–12–2005 - पारित - व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, - प्रकरण क्रमांक 429/1998–99 अपील

विकास कुमार नावालिक पुत्र बिनोदकुमार
सरपरस्त आजा (Grand father) बुद्धुलाल जैन
निवासी भौति तहसील पिछोर जिला शिवपुरी ——आवेदक

विरूद्ध

1– रघुवर पुत्र निरभे लोधी
2– नाथूराम पुत्र काशीराम लोधी
3– महिला रानी उर्फ भूरी पत्नि स्व. काशीराम
सभी ग्राम महोवा डामरोन मजरा इमलिया
तहसील पिछोर जिला शिवपुरी ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर०एस०सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 3 - 4 -2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 429/98–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने तहसीलदार पिछोर को आवेदन प्रस्तुत मांग रखी कि भूमि सर्वे क्रमांक 2149 रकबा 4 वीघा 13 विसवा देवलिया पत्नि भमरा लोधी से क्रय की है जिसका नामान्तरण भी उसके नाम हो चुका है , किन्तु अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के पिता/पति काशीराम ने बंदोवस्त अधिकारियों से मिलकर इस भूमि को अपने नाम करा लिया। काशीराम की मृत्यु हो चुकी है एंव उसके वारिस अनावेदक क्रमांक 2 व 3 का नामान्तरण भी नहीं हुआ है। सर्वे नंबर 2149 की भूमि सर्वे नंबर 2900 में मिलाकर अनावेदक–गणों का रकबा बढ़ा दिया गया है

इसलिये भूमि सर्वे क्रमांक 2149 रकबा 4 वीघा 13 विसवा के संबंध में हुई बंदोवस्त त्रृटि सुधारी जाय। तहसीलदार पिछोर ने प्रकरण क्रमांक 4/95-96 अ-5 पॅजीबद्ध किया तथा जांचोपरांत आदेश दिनांक 11-12-1997 पारित करके सर्वे नंबर 2900 में सर्वे नंबर 2149 की भूमि को जोड़कर बढ़ाये गये रकबे को कम करते हुये सर्वे नंबर 2900 के बटांक सर्वे नंबर 2900/1 एंव 2900/2 करते हुये सर्वे नंबर 2900/1 रकबा 0.63 अनावेदक क्रमांक 1 के नाम एंव सर्वे नंबर 2900/2 रकबा 1-47 हैक्टर पूर्ववत् प्रविष्टि अनुसार सुधार के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के समक्ष आवेदक ने अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पिछोर ने प्रकरण क्रमांक 98/97-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-5-99 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 429/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-05 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश सें परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि तहसीलदार पिछोर ने बंदोवस्त के दौरान की गई त्रृटि में सुधार किया है, जबकि आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि बंदोवस्त के दौरान हुई त्रृटि सुधार के अधिकार तहसलीदार को नहीं है अपितु अनुविभागीय अधिकारी को हैं। तद्नुसार संहिता की धारा 89 का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि म0प्र0 राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 1968 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2539-6403-सा-ना-1 दिनांक 27 जून 1968 व्दारा संहिता की धारा 89 के अधीन उपखंड अधिकारियों की शक्तियां समस्त तहसीलदारों को प्रदान कर दी गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक के अभिभाषक व्दारा उक्तानुसार उठाई गई आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क किया है तहसील न्यायालय ने आवेदक को पक्षकार बनाये उसके विरूद्ध आदेश पारित किया है इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाय। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 31-12-2005 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त ने आदेश में विवेचित

किया है कि संशोधन की कार्यवाही में उसी व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाता है जिसके रकबा में कमीवेशी की गई है जिस खातेदार का रकबा कम किया जाकर या उसके रकबा में से रकबा दूसरे प्रभावित पक्ष को दिया जाता है या उसके रकबे में जोड़ा जाता है , उसको इस कारण से पक्षकार नहीं बनाया जाता है क्योंकि उसका वास्तविक रकबा कम नहीं किया जाता है अपितु गलत तरीके से बढ़ाया गया रकबा ही कम किया जाता है। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण में आये प्रत्येक बिन्दु पर विचार करते हुये आदेश दिनांक 31–12–2005 पारित किया है , जिसके हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 429/98–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–2005 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर